

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1900 / 2021 दिनांक : 27.08.2021

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (न्याय) प्रकोष्ठ, जयपुर के आदेश क्रमांक प.11(3) न्याय/2002, दिनांक 08.09.2005 सपठित राजकीय सेवा नियम 1951 के नियम 91-ए के तहत राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारीगण को दिनांक 01.04.2000 से दो वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक में अधिकतम 30 दिवस के उपाजित अवकाश का नकद भुगतान अनुज्ञेय किया गया है । अतः निम्न वर्णित अधिकारी को उनके आवेदनानुसार अधोलिखित तालिकानुसार उपाजित अवकाश का नकद भुगतान स्वीकृत किया जाता है । जिसकी प्रविष्टि सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में कर दी गई है ।

क्र. सं.	नाम अधिकारी एवं पदनाम	समर्पित अवकाश के दिनों की संख्या	ब्लॉक वर्ष	समर्पित अवकाश की दिनांक
1.	श्री नीरज कुमार मामू (RJ0554), रजिस्ट्रार (न्यायिक), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।	30	2020-2022	19.08.2021

आज्ञा से
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
26.08.2021

क्रमांक:—स्था.बी.2(4) 13/2008/5456

दिनांक : 27.08.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. श्री नीरज कुमार मामू (RJ0554), रजिस्ट्रार (न्यायिक), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
3. विपत्र शाखा, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
26.08.2021